



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की गुरुवार, दिनांक 21.09.2023 को
अपराह्न 03.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
(पृष्ठ 01 से 07 तक)
टीप: कार्यवृत्त संलग्न है।
02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद	M.Com.-I & II Semester	30	2023-24	1. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंध संस्थान पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, प्राचार्य, शास. स्नातकोत्तर महा. कुरुद 3. डॉ. राजेशधर दीवान, शास. महा. कोहका-नेवरा
निरीक्षण तिथि : 19.08.2023					
1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता - लागू नहीं					
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि - 7.125 एकड़					
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि - लागू नहीं					
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि - लागू नहीं					
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं - हाँ					
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता - 11 अध्यापन कक्ष					
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता - लागू नहीं					
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता - लागू नहीं					
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता - शासन द्वारा 1 प्राध्यापक एवं 1 सहा. प्राध्यापक का पद स्वीकृत अतिथि व्याख्याता के रूप में नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।					
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता - विधायक निधि से 60000/- की पुस्तकें एम.कॉम. हेतु आदेशित					
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ - वाई-फाई की सुविधा वाणिज्य लैब की सुविधा उपलब्ध					

12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – लागू नहीं
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – निरंक
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – छात्राओं की संख्या अनुपात में फर्नीचर, पुस्तकों की कमी है। पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों के लिए 06 कम्प्यूटर सेट की आवश्यकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
ii	नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर, जिला-रायपुर	B.A.-I- F.C. (Hindi & English Language), Political Sc., Sociology, History,	90	2023-24	1. डॉ. निस्तर कुजूर, समाजशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एस.के. भट्ट, शास. नागार्जुन विज्ञान पीजी महा. रायपुर 3. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा, शास. महावि. खरोरा, जिला-रायपुर
		B.Sc.-I-Computer Sc.	45		
		B.Sc.-I- (Masths Group) - FC (Hindi & English Language), Chemistry, Maths, Physics	45		
		B.Com.- I- Compulsory subject	90		


निरीक्षण तिथि : 03.08.2023

- समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – निरंक
- समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – निरंक
- इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – निरंक
- शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – निरंक
- महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – नहीं, राय पब्लिक स्कूल परिसर माना कैम्प में संचालित।
- महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – 05 कक्ष + 01 बड़ा हाल
- यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – उपलब्ध (02 कक्ष)
- प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – प्रयोगशाला उपकरणों हेतु शासन से राशि प्राप्त हो गई है तथा क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
- प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जावेगी। शासन से स्वीकृति प्राप्त।
- ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – शासन से राशि प्राप्त नहीं। क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
- महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – अन्य सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध है।
- यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ?– निरंक
- अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **Library** हेतु आवश्यक **Books Purchase** किया जाना आवश्यक है। **Wash Room, Electricity Drinking water Facilities** को **Improve** करने की आवश्यकता है।
- कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – फर्निचर, एवं **Lab** हेतु **Appratus** की आवश्यकता है। इस कमी को शीघ्र पूरा किया जावे। यह समस्त कार्य प्रक्रियाधीन है।


क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iii	शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, गोबरा-नवापारा, जिला-रायपुर	B.Sc.-III- Bio Group (F.C.-Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	2023-24	1. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर
		B.Sc.-III- Maths Group (F.C.-Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	45		2. डॉ. एस.के. भट्ट, शास. नागार्जुन विज्ञान पीजी महा. रायपुर
		B.A.-III- (F.C.-Hindi, English), Political Science, Geography, Sociology	90		3. डॉ. श्रीमती नंदा नेमा, शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महा. रायपुर
		B.Com.-III- All Compulsory Subject	90		4. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा, शास. महावि. खरोरा, जिला-रायपुर

निरीक्षण तिथि : 26.08.2023

1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता - शास. कन्या उच्च मा. विद्यालय गोबरा नवापारा में संचालित
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि - निरंक (शास. महा. है।)
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि - उपयोगी नहीं।
4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि - शास. महा. है।
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं - नहीं
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता - आवश्यक कक्ष, अध्यापन कक्ष उपलब्ध
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता - शास. कुलेश्वर महा. तर्री नवापारा में उपलब्ध प्रयोगशाला सुविधाओं से छात्राएँ प्रायोगिक कार्य करते हैं।
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता - शास. कुलेश्वर महा. तर्री में सुविधाएँ उपलब्ध है, जहाँ प्रायोगिक कार्य संपन्न किए जाते हैं।
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता - सभी विषय में नियमित शिक्षक है। कुल रिक्त पद है सभी में नियमित सहा. प्राध्यापक कार्यरत है।
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता - ग्रंथपाल का पद स्वीकृत है पर ग्रंथपाल नहीं है। पुस्तकें पर्याप्त है।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ - आवश्यक सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध है।
12. यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? - लगभग सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है।
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें - ग्रेड-01, ग्रेड-02 के पद रिक्त है।
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके - ग्रेड-01, ग्रेड-02 के पद भरना आवश्यक है एवं प्रयोगशाला सुविधाएँ जहाँ महा. संचालित है वहीं होना उचित होगा।



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iv	यशवंत राव मेघावले शास. महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी	B.Sc.-III- Maths, Physics	40	2023-24	1. डॉ. एस.के. चक्रधारी, भौतिकी अ.शा. पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एस.के. भट्ट, शास. नागार्जुन विज्ञान पीजी महा. रायपुर 3. डॉ. राजेश दुबे, प्राचार्य, शहीद राजीव पाण्डेय, शास. महावि. भाटागांव, रायपुर
		B.A.-III- Hindi Literature	40		
<p>निरीक्षण तिथि : 17.08.2023</p> <ol style="list-style-type: none"> समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – शासकीय महाविद्यालय, लागू नहीं समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – लागू नहीं इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – लागू नहीं शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – लागू नहीं महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – स्वयं का भवन महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – उपलब्ध (12 अध्यापन कक्ष, 05 प्रयोगशाला कक्ष) यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – कक्ष उपलब्ध। प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – उपकरणों की आवश्यकता है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – शासन द्वारा पद स्वीकृत/नियमित/अतिथि/जनभागीदारी से शिक्षक व्यवस्था की जा रही है। ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – B.Sc.-III-Physics, B.A.-III हिंदी साहित्य की पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है। महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध है। यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – कमियों एवं सुझावों के अनुसार कार्य पूर्ण किया गया है। अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – निरंक (B.Sc.-III गणित, भौतिकी (40 सीट) B.A.-III हिंदी साहित्य (40 सीट)) वृद्धि हेतु वांछित सुविधाएँ उपलब्ध कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – <ol style="list-style-type: none"> B.Sc.-III Physics के लिए प्रयोगशाला सामग्री क्रय किया जाए। B.Sc.-III Physics व B.A.-III हिंदी साहित्य के लिए पाठ्य पुस्तकें/संदर्भ ग्रंथ क्रय किया जाना नितांत आवश्यक है। 					



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
v	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महा. रायपुर	M.Sc.-I/II Sem. Chemistry	20	2023-24	1. डॉ. एम.के. देब, रसायन अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		Botany	20		2. डॉ. शम्स परवेज, रसायन अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
					3. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
					4. डॉ. अदिती पोद्दार, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 16.08.2023

1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता – शासकीय महाविद्यालय
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – शासकीय महाविद्यालय
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – शासकीय महाविद्यालय
4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – शासकीय महाविद्यालय
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – स्वयं के भवन
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – कुल 43 कक्ष उपलब्ध है।
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – P.G. कोर्स हेतु अलग से प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है।
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – कोई भी उपकरण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता – दोनों ही विषय में मात्र 1-1 सहायक प्राध्यापक ही पदस्थ हैं।
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता – प्रस्तावित P.G. कोर्स हेतु पुस्तकें अनुपलब्ध है।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – Smart Class, फर्नीचर LCD, Projector इत्यादि।
12. यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है? – N.A.
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – शिक्षकों की कमी है।
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – महाविद्यालय में Chemistry, Botany में M.Sc. कोर्स शुरु करने हेतु कोई भी मूलभूत आवश्यक संसाधन जैसे Books, Chemicals, Glassware, Laboratory equipments उपलब्ध नहीं है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
vi	सत्यनारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर	M.Sc.-I/II Sem. Maths	20	2023-24	1. डॉ. व्यास दुबे, सांख्यिकी अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
					2. डॉ. बी.एस. ठाकुर, गणित अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
					3. डॉ. दीपेन्द्र सिंह, फार्मसी संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 05.08.2023

1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता – लागू नहीं
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि –
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – लागू नहीं
4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – लागू नहीं
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – स्वयं का भवन

6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – कक्षा उपलब्ध है।
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – प्रायोगिक विषय नहीं है।
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – ---
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – दो शिक्षकों के पद स्वीकृत है। 1 कार्यरत है, 1 पद विज्ञापित है। दो और पद स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है।
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – पुस्तकें क्रय की गई हैं।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं ? –
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें –
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्तों के रूप में मान्य किया जा सके – (1) वर्तमान में 02 पद का सेटअप स्वीकृत है। कम से कम 04 पदों का सेटअप आवश्यक है।
(2) पाठ्यक्रम में उल्लेखित संदर्भ पुस्तकें कम से कम 1 सेट क्रय किया जावे।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
vii	स्व. रामनाथ वर्मा शास. महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	B.Sc.-I- Botany, Zoology	90	2023-24	1. डॉ. के.के. घोष, रसायन अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एस.के. जाधव, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर 3. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 02.08.2023

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – --
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – --
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – --
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – --
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **No (Hostel of Govt. H.S.S. Mopka)**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – **Yes (10 Rooms)**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – **Not Available**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **Inadequate**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **Essentially required. Only one teacher of chemistry is these.**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **Librarian not available. few books are available. More books are needed.**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **Facilities randed by the school building are only available.**
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं ? – **N.A.**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **Basic facilities are needed to be developed.**

14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
- Regular teachers are required.**
 - Equipment, Books, Glassware and chemicals, are required.**
 - Librarian and books are needed.**
 - Laboratories need to be developed.**
 - Lab Technician are required.**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
viii	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महा. बसना, जिला- महासमुंद	PGDCA (Self Finance)	30	2023-24	<ol style="list-style-type: none"> डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर डॉ. विनोद कुमार पटले, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर डॉ. निनाद बोधनकर, भू-विज्ञान अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर


निरीक्षण तिथि : 05.08.2023

- समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – लागू नहीं।
- समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – 15 एकड़
- इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – लागू नहीं।
- शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – लागू नहीं।
- महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – हाँ
- महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – पर्याप्त
- यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – उपलब्ध है।
- प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – नहीं है।
- प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – आवश्यकता है।
- ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – नियमित ग्रंथपाल है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें उपलब्ध नहीं है।
- महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ –
- यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है?–
- अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें –
- कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए निम्न आवश्यक है –
 - कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।
 - नवीनतम Configuration के 15 (पंद्रह) कंप्यूटर लाइसेंस के साथ क्रय किया जाना आवश्यक है।
 - पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेंस साफ्टवेयर क्रय किया जाना आवश्यक है।
 - वातानुकूलित कंप्यूटर लैब बनाया जाना आवश्यक है।
 - प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए छात्र अनुपात में ग्रंथालय के लिए पुस्तकें क्रय किया जाना आवश्यक है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
ix	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महा. बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़	M.Sc.-III/IV Sem. Chemistry	30	2023-24	1. डॉ. एम.के. देब, रसायन अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 3. डॉ. अदिती पोद्दार, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		M.Sc.-III/IV Sem. Botany	30		


निरीक्षण तिथि : 05.08.2023

1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता -
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि -
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि -
4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि -
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं - स्वयं का भवन
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता - **33 (Class rooms+Lab)**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता - वर्तमान में **B.Sc. Chem./Botany प्रयोगशाला में M.Sc. Chem./Botany संचालित**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता - उपकरण क्रय किया गया है।
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता - **Botany - Guest-1, JBS - 1**
Chemistry - Guest- 1, JBS-1
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता - ग्रंथपाल नहीं है। पुस्तकों की संख्या **Botany- 208, Chemistry-159**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ - खेल मैदान, जीम, पुस्तकालय, पानी / Wash Room
12. यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? - आंशिक पूर्ण कर ली गई है
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें - महाविद्यालय का स्वयं का भवन तथा **Infrastructure अच्छा है। दिनांक 22.11.22 को नैक निरीक्षण में 'B' ग्रेड प्राप्त हुआ है।**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके -
 - I. नियमित शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
 - II. Syllabus के अनुसार M.Sc. III/IV Sem. के लिए उपकरण एवं **Chemicals** आवश्यक है।
 - III. प्रयोगशाला परिचारक नियुक्ति आवश्यक है।
 - IV. सभी विषयों के लिए कुछ पुस्तक क्रय करना आवश्यक है।



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
x	संत गुरु घासीदास शास. स्नातकोत्तर महा. कुरुद, जिला-धमतरी	M.Sc.-I/II Sem. Information Technology (I.T.)	20	2023-24	1. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. विनोद कुमार पटले, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. एस.जे. डहरवाल, फार्मसी संस्थान पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
<p>निरीक्षण तिथि : 10.08.2023</p> <ol style="list-style-type: none"> समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – NA - Govt. Institute समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – 15 Acre इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – NA शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – NA महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – Yes महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – पर्याप्त है। यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – पर्याप्त नहीं है। प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – अपर्याप्त प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – अपर्याप्त है। ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – ग्रंथपाल नियमित है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें अपर्याप्त है। महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – Wi-fi सुविधा है। यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियाँ एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ?– अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – निम्न शर्त होना आवश्यक है – <ol style="list-style-type: none"> प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए नियमित शिक्षक नियुक्त किया जाना आवश्यक है। नवीनतम Configuration के दस (10) कंप्यूटर लाइसेंस साफ्टवेयर के साथ क्रय किया जाना आवश्यक है। वातानुकूलित कंप्यूटर लैब पृथक बनया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किया जाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेंस साफ्टवेयर क्रय किया जाना आवश्यक है। 					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
xi	दिशा कॉलेज रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर	B.A. (F.C., Sociology, Hindi Litt., Psychology, Political Sc., Economics, History (New Course)	60	2023-24	1. डॉ. शैल शर्मा, साहित्य एवं भाषा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. बशीर हसन, मनोविज्ञान अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 4. डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Sc.- Seat extension	40		
		M.Sc. Final Year Maths	30		



निरीक्षण तिथि : 19.08.2023

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – पंजीकृत है।
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – 6.177 (Intro premiser)
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – 35 lakhs
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – वैध है।
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – स्वयं का भवन है।
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – पर्याप्त कक्षा उपलब्ध है।
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – कक्षा उपलब्ध है।
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – उपलब्ध है।
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – परिनियम 28 के तहत नियुक्त शिक्षक – कम्प्यूटर-04, भौतिक-01, गणित-02, हिंदी-01, अंग्रेजी-01 महाविद्यालय स्तर पर नियुक्त – कम्प्यूटर-09, भौतिक-02, गणित-04
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध है।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ?- हाँ (कोई विशिष्ट शर्त उल्लेखित नहीं है।)
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें –
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – महाविद्यालय स्तर पर शिक्षक पर्याप्त संख्या में पदस्थ है। इन्हें परिनियम 28 में नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
xii	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, पुराना धमतरी रोड, सेजबहार, रायपुर, जिला-रायपुर	B.B.A. Seat extension	30	2023-24	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. आशीष श्रीवास्तव, प्रबंध संस्थान पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, प्राचार्य, शास. पीजी महावि. कुरुद 3. डॉ. राजेशधर दीवान, शास. महावि. कोहका-नेवरा
		B.Com.- Seat extension	30		
निरीक्षण तिथि : 04.08.2023					
<ol style="list-style-type: none"> 1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – पंजीयन वैध है। 2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – 5.293 एकड़ 3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – रु. 15,00,000/- 4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – आजीवन सदस्यता 5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – हाँ 6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – 24 अध्यापन कक्षा 7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – निरक 8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – लागू नहीं 9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – वर्तमान में B.B.A. एवं B.Com. में 6-6 अतिथि शिक्षक कार्यरत है। B.B.A. में परिनियम 28 के अंतर्गत केवल 1 शिक्षक कार्यरत है। B.B.A. एवं B.Com. में परिनियम 28 के अंतर्गत 3 शिक्षक प्रति पाठ्यक्रम किए जाने की आवश्यकता है। 					

10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – वर्तमान में छात्रों के अनुसार पुस्तकें पर्याप्त है। लेकिन सीट वृद्धि के अनुपात में पुस्तकें क्रय किए जाने की आवश्यकता है।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – कम्प्यूटर लैब, कैंटीन, हॉस्टल एवं अन्य अधोसंरचना पर्याप्त है।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ?– लागू नहीं
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – निरंक
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – उपरोक्तानुसार

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
xiii	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस गरियाबंद, जिला-गरियाबंद	बी.एस.सी. बायो अंतिम वर्ष (रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	30	2023-24	1. डॉ. के.के. घोष, रसायन अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		बी.एस.सी. गणित अंतिम वर्ष (भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित)	30		2. डॉ. डी.पी. बिसेन, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 4. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 09.09.2023

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – पंजीकृत है।
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – 9 एकड़
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – 15 लाख
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – वैध है
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – स्वयं का भवन
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – उपलब्ध है।
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – कक्ष उपलब्ध है।
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – उपकरण उपलब्ध है। सुदृढीकरण की आवश्यकता है।
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – अतिथि शिक्षक कार्यरत है। परिनियम 28 में नियुक्ति नहीं है।
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – परिनियम 28 में ग्रंथपाल की नियुक्ति किया जाना है। छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तकें उपलब्ध है।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ?– आंशिक पूर्ति की गई है। परिनियम 28 में नियुक्तियाँ नहीं हुई है।
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – प्रयोगशाला में सामग्री उपलब्ध है। सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है।
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
 - (1) परिनियम 28 में शिक्षकों की भर्ती आवश्यक है।
 - (2) प्रयोगशाला का सुचारु संचालन किया जाना अति आवश्यक है तथा कुछ और उपकरण क्रय किए जाने की आवश्यकता है।
 - (3) ग्रंथालय में संदर्भ ग्रंथ क्रय किए जाने की आवश्यकता है।

04. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को अर्थशास्त्र विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप : अर्थशास्त्र विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 21.08.2023 के निर्णयानुसार शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को अर्थशास्त्र विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक-107 की कंडिका-08 के प्रावधानानुसार प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।


05. (1) श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर, (2) रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम-धनेली, माना जिला-रायपुर, (3) श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम धनेली, माना, रायपुर एवं (4) श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नया रायपुर को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।

टीप : श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ के कुलसचिव का पत्र क्रमांक SRU/RPR/Registrar/2023/157 दिनांक 11 सितम्बर, 2023 के द्वारा (1) श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर, (2) रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम-धनेली, माना जिला-रायपुर, (3) श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम धनेली, माना, रायपुर एवं (4) श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नया रायपुर को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से असम्बद्ध करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	वर्तमान पता	स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित परिसर	रिमार्क
01	श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन	बी.एड.	ग्राम पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर	ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना, शदानी दरबार के पास न्यू धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का Shifting Order क्रमांक F.No.WRC/WRCAPP1851/B.Ed./392nd/Chhattisgarh/2023/224014 दिनांक 28.058.2023 (संलग्न है।)
02	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन	बी.पी.एड.	ग्राम पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर	ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना, शदानी दरबार के पास न्यू धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का Shifting Order क्रमांक F.No.WRC/WRCAPP1333/B.P.Ed./392nd/Chhattisgarh/2023/224014 दिनांक 28.058.2023 (संलग्न है।)
03	श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन	बी.एड.	ग्राम-धनेली, माना		
04	रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज	बी.एड.	ग्राम-धनेली, माना		

क्रमांक 3 एवं 4 को श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी से संबद्ध किए जाने के प्रकरण पर कार्य वाही करे हुए, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लंबित प्रकरण-Case No. WPC/2229/2019 और WPC/2230/2019 को वापस लेने हेतु अधिवक्ता को अधिकार पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रदान किया जा चुका है। इस संबंध में श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के प्रबंध्यासी एवं सचिव द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त चारो महाविद्यालयों को असम्बद्ध किए जाने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



06. अध्यादेशों के परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को एम.एस-सी. (आई. टी.) एवं एम.एस-सी. (कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन के संबंध में "बैठक दिनांक 04.08.2023 के पद क्रमांक (2) में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त करते हुए प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149 एवं 150 को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।" अनुशंसा हेतु प्रस्तुत है।

टीप : प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149, 150 एवं प्रपत्र-दो की प्रति संलग्न है।

07. अध्यादेश परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को आयोजित बैठक में प्राचार्य, शास. नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 904/2023 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा विषय समूह के निर्धारण के संबंध में विचार करना।

टीप : अध्यादेश परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को आयोजित बैठक में प्राचार्य, शास. नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 904/2023 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा निम्नलिखित विषय समूह के निर्धारण हेतु प्रेषित पत्र के संबंध में निर्णय लिया गया कि -

- (1) भौतिक शास्त्र, गणित, भूगोल
- (2) गणित, रसायनशास्त्र, अर्थशास्त्र
- (3) रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भूगोल
- (4) रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, अर्थशास्त्र

निर्णय लिया गया कि - "(1) उपरोक्त प्रस्तावित विषय समूह को विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 21 में सम्मिलित कर समाहित किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका निर्णय पद क्रमांक (4) में उल्लेखित है।"

(4) विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के प्रस्तावित पाठ्यक्रम विषय समूह अध्यादेश क्रमांक 197 एवं विनियम क्रमांक 201 से संचालित है, दोनों में विषय समूहों का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

08. बी.एस-सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप कंडिका (ii) के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण के संबंध में विचार करना।


टीप : बी.एस-सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप कंडिका (ii) के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण हेतु अध्यक्ष अध्ययन मण्डल द्वारा निम्नानुसार विषय समूह निर्धारण किया गया है -

- (26) Physics, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application.
- (27) Chemistry, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application

अतः विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

09. भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-III-खण्ड 4 प्राधिकारी से प्रकाशित सं. 271, नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिसूचना नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018 (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) को विश्वविद्यालय परिनियम 28 में समाहित किए जाने हेतु अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

टीप : भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-III-खण्ड 4 प्राधिकारी से प्रकाशित सं. 271, नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिसूचना नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018 (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) की प्रति संलग्न है।



10. चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा, जिला-महासमुंद में संचालित बी.एस-सी. (विज्ञान समूह), एम.ए. अंग्रेजी, इतिहास एवं पी.जी.डी.सी.ए. में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

टीप : चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा, जिला-महासमुंद में संचालित पाठ्यक्रम बी.एस-सी. (विज्ञान समूह), एम.ए. अंग्रेजी, इतिहास एवं पी.जी.डी.सी.ए. में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-48/2023/38-1 नवा रायपुर, दिनांक 14.07.2023 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश निम्नानुसार प्रदान किया गया है:-

क्र.	कक्षा का नाम	संचालन का प्रकार	निर्धारित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	बी.एस-सी. (विज्ञान समूह)	शासन से	115	35	150
2.	एम.ए. अंग्रेजी	शासन से	30	20	50
3.	एम.ए. इतिहास	शासन से	30	20	50
4.	पी.जी.डी.सी.ए.	जनभागीदारी मद	60	15	75

11. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित विश्वविद्यालय पत्र क्र. 6102/अका./2015 रायपुर दिनांक 29/10/2015 द्वारा गठित Question Paper reform committee द्वारा अनुशंसित एवं सत्र 2016-17 से प्रभावशील एम.ए., एम. काम., एम.एस-सी., एम.सी.ए., एलएल.एम., एम.पी.एड. एवं एम.लिब. परीक्षाओं के सेमेस्टर सिस्टम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के Question Paper Pattern में परिवर्तन संबंधी परीक्षा प्रकरण निवारण समिति (Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत।

टीप:- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एम.ए., एम. काम., एम.एस-सी., एम.सी.ए., एलएल.एम., एम.पी.एड. एवं एम.लिब. परीक्षाओं के सेमेस्टर सिस्टम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्र क्र. 6102/अका./2015 रायपुर दिनांक 29/10/2015 द्वारा गठित Question Paper reform committee द्वारा अनुशंसित एवं सत्र 2016-17 से प्रभावशील एवं प्रचलित Question Paper Pattern के स्थान पर विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 685 /परीक्षा/2023 रायपुर दिनांक 11/05/2023 द्वारा गठित परीक्षा प्रकरण निवारण समिति (Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 द्वारा निम्नानुसार परिवर्तन की अनुशंसा की गयी है।

- प्रश्नपत्र के पूर्णांक पाठ्यक्रम योजना अनुसार होगा।
- प्रश्नपत्र 3 खण्ड (खण्ड अ, खण्ड ब एवं खण्ड स) में विभक्त होगा।
- सभी खण्ड में प्रत्येक इकाई से प्रश्न पूछे जाएंगे।
- खण्ड अ तथा खण्ड ब के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।
- खण्ड स में आन्तरिक विकल्प दिया जाएगा।

प्रश्नपत्र में प्रश्न एवं अंकों का विभाजन पूर्णांक 80 एवं 100 के आधार पर निम्नानुसार होगा:-

पूर्णांक 80 अंक हेतु

प्रश्नपत्र प्रतिरूप	खण्ड	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक
बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर	A	8 अथवा 10	2.5 अथवा 2	20
लघुउत्तरीय (≤100 शब्द)	B	4 अथवा 5	5 अथवा 4	20
दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (≥350 शब्द)	C	4 अथवा 5	10 अथवा 8	40
कुल अंक				80

पूर्णांक 100 अंक हेतु

प्रश्नपत्र प्रतिरूप	खण्ड	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक
बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर	A	8 अथवा 10	2.5 अथवा 2	20
लघुउत्तरीय (≤ 100 शब्द)	B	4 अथवा 5	7.5 अथवा 6	30
दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (> 350 शब्द)	C	4 अथवा 5	12.5 अथवा 10	50
कुल अंक				100

उक्त अनुशंसित Question Paper Pattern सत्र 2023-24 से उपर्युक्त सभी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए प्रभावशील होगा।

अतः विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

12. एक ही शिक्षा सत्र में एक साथ दो डिग्री या एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा परीक्षा में सम्मिलित होकर अर्जित किए गए डिग्री/डिप्लोमा के आधार पर छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश पात्रता के संबंध में विचार करना।

टीपः विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 6 Examination (General) के Part-V General Conditions applicable to all Students अंतर्गत कंडिका (16) के प्रथम एवं द्वितीय पैरा में उल्लेखित है कि-

No Candidate shall appear in more than one-degree examination or in more than one subject for the Master's Degree (Previous or Final) in one and the same. Year. Provided that a student, while undergoing of instructions in law, will not be permitted to offer any other Diploma (excluding Language Diploma) to Degree course simultaneously.

उपरोक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में छात्र/छात्रा-(1) निर्भय (2) कु. रोशनी (3) कु. चित्रवती एवं (4) अंजली बघेल द्वारा एक ही शिक्षा सत्र में एक साथ दो डिग्री या एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण/प्रस्तुत डिग्री/डिप्लोमा के आधार पर प्रवेश पात्रता के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

13. पं. रविशंकर वि.वि. में Distinguished Professor के Honorary Engagement के संबंध में विचार करना।

टीपः

1. विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राध्यापकों का honorary basis पर विश्वविद्यालय के शिक्षण और अनुसंधान में गुणवत्ता वृद्धि हेतु engagement
2. Distinguished Professor का चयन माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जायेगा।
3. Distinguished Professor को अध्ययनशाला/संस्थान/केंद्र में सभी मूलभूत एवं अनुसंधान के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।
4. Distinguished Professor का engagement honorary basis पर होने के कारण विश्वविद्यालय पर कोई भी वित्तीय भार नहीं आयेगा।
5. उक्त के संबंध में प्रस्तावित विनियम विचारार्थ प्रस्तुत है।

14. स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUP) संबंधी अध्यादेश क्रमांक-197 में संशोधन/एकरूपता हेतु गठित समिति द्वारा आवश्यक संशोधन उपरांत प्रस्तुत अध्यादेश के संबंध में।

टीपः चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) के अध्यादेश क्रमांक-197 में विभिन्न कठिनाईयों, एकरूपता एवं संशोधन के संबंध में विचारार्थ दिनांक 14.08.2023 को कुलपति सचिवालय में सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव एवं स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की आयोजित बैठक में हुए चर्चानुसार विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 475/अका./पाठ्यक्रम/2023 दिनांक 24.08.2023 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 28.08.2023, 29.08.2023 एवं 08.09.2023 में विचारोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश विचारार्थ।

15. डी.लिट. उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् नवीन शीर्षक के साथ पुनः डी.लिट. पंजीयन हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।

टीप: विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 के बिंदु क्रमांक 05 पर त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन निम्नांकित है—

अध्यादेश 46 (Doctor of Letters/Science/Laws) के बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार डी.लिट. उपाधि हेतु उम्मीदवार को पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा 10 शोध पत्र किसी स्तरीय (मानक) शोध पत्रिका में प्रकाशित किए जाने के उपरांत डी.लिट. उपाधि हेतु आवेदन की पात्रता है। इस प्रावधान को ध्यान में रखने हेतु डी.लिट. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा विषय से संबंधित 10 नए शोध पत्र स्तरीय (मानक) शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के उपरांत ही आगामी शोध उपाधि हेतु आवेदन पर विचार किए जाने की अनुशंसा की जाती है। समिति का प्रतिवेदन विचारार्थ प्रस्तुत है।

16. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

21/9/23
कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 297 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023

रायपुर, दिनांक 03 / 08 / 2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 03.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	--	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	--	सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	--	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	--	सदस्य
5. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	--	सदस्य
6. डॉ. राजीव चौधरी	--	सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल	--	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	--	सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	--	सदस्य
10. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	--	सदस्य
11. डॉ. संजय कुमार	--	सदस्य
12. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	--	सचिव

कार्यवृत्त

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 30.05.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 30.05.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
i	शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर	M.Sc.-I/II Sem. Botany	20	2023-24
		PGDCA	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
ii	शासकीय माता कर्मा कन्या महावि. महासमुंद	M.S.W.	20	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iii	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर	M.Sc. I/II Sem.- Chemistry	30	2023-24
		M.A. I/II Sem.-Economics	50	
		M.A. I/II Sem.- Political Science	50	
		M.Com. I/II Sem.	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iv	शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, रायपुर	B.Com. III year Computer Application (Self Financing)	50	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
v	शासकीय खेमचंद लक्ष्मीचंद महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुंद	PGDCA	40	2023-24
		B.A.-I English Literature, Geography	250	
		M.Sc. I/II Sem. Maths	25	
		M.Sc. I/II Sem. Botany	25	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vi	बाबू पंडरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी, जिला-धमतरी	M.A.-I/II Sem. Gorgaphy	30	2023-24
		B.Sc.-I- Bio Group. - Botany, Zoology, Chemistry	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vii	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर	B.A.LL.B- I year- (Five years integrated Course)	120	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
viii	नवीन शासकीय महाविद्यालय, अमलीडीह, जिला-रायपुर	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष - आ.पा.- हिंदी एवं अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र	90	2023-24
		बी.सी.ए. प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	60	
		बी.बी.ए.-प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	40	
		बी.काम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	90	
निर्णय: शासन द्वारा बी.बी.ए.-60 सीट की स्वीकृति प्रदान की गई है। अध्यादेश क्रमांक 91 के अनुसार 40 सीट प्रदान करने की अनुशंसा की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि शासन को इस तथ्य से अवगत कराया जाए तथा निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				



04. जयहिन्द महाविद्यालय, महासमुंद में संचालित बी.बी.ए. एवं बी.कॉम. पाठ्यक्रम को बंद करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: परीक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार महाविद्यालय में सत्र 2019-22 तक छात्रों का प्रवेश निरंक है। महाविद्यालय द्वारा उक्त अवधि में प्रतिवर्ष के क्रम में सम्बद्धता शुल्क भी जमा किया जा रहा है। उक्त स्थिति के सापेक्ष समिति ने महाविद्यालय की सम्बद्धता वापस लिए जाने की अनुशंसा की एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात् शासन को महाविद्यालय बंद करने हेतु पत्र प्रेषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
05. डी.लिट् उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् उसी विषय में नवीन शीर्षक के साथ फिर से डी.लिट् उपाधि हेतु पंजीयन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: डी.लिट् उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् उसी विषय में नवीन शीर्षक के साथ फिर से डी.लिट् उपाधि हेतु समिति के गठन की अनुशंसा की गई, जो अपना प्रतिवेदन 31.08.2023 तक प्रस्तुत करेंगे। समिति के सदस्य निम्नलिखित है -
(1) डॉ. आशिष कुमार श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय
(2) डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय
(3) डॉ. एस.जे. डहरवाल, संकायाध्यक्ष, टेक्नोलॉजी संकाय
06. सत्र 2023-24 में नवीन कक्षा/विषय एवं सीट संख्या में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल में इंद्राज किए जाने हेतु जारी पत्र के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के आदेशानुसार सत्र 2023-24 में नवीन कक्षा/विषय एवं सीट संख्या में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल में इंद्राज किए जाने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों को जारी पत्र का सूचना ग्रहण कर, विश्वविद्यालय परिनियम 27 के अनुसार सम्बद्धता की कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	वि.वि. पत्र क्र. एवं दिनांक
1.	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय गरियाबंद	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष - आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास	90	क्रमांक: 2176/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 28/06/2023
		बी.एस.सी. (विज्ञान समूह) प्रथम वर्ष- आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र	45	
		बी.एस.सी. (गणित समूह) प्रथम वर्ष- आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र	45	
		बी.कॉम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	90	
2.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, अमलीडीह जिला- रायपुर	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष - आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र	90	क्रमांक: 2176/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 28/06/2023
		बी.सी.ए. प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	60	
		बी.बी.ए. प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	60	

		बी.कॉम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	90	
3.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर जिला- रायपुर	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष - आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास	90	क्रमांक: 2176/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 28/06/2023
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष- कम्प्यूटर साईंस	45	
		बी.एस.सी. (गणित समूह) प्रथम वर्ष- आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र	45	
		बी.कॉम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	90	
4.	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर सत्र 2023-24	M.Sc. I/II Sem.- Chemistry	20	क्रमांक: 38/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 05/07/2023
		M.Sc. I/II Sem.- Botany	20	
5.	स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना जिला- महासमुंद सत्र 2023-24	B.Sc.-I- Maths Group- Physics, Maths	60	क्रमांक: 83/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 12/07/2023
6.	स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना जिला- महासमुंद सत्र 2023-24	PGDCA	30	क्रमांक: 242/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक: 27/07/2023
7.	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा-नवापारा जिला- रायपुर सत्र 2023-24	M.A. I/II Sem.- Economics	50	क्रमांक: 91/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 12/07/2023
		M.A. I/II Sem.- Political Science	50	
		M.Com. I/II Sem.	30	
		M.Sc. I/II Sem.- Chemistry	30	
8.	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद सत्र 2023-24	B.A. I- (F.C.- Hindi, English), English Literature, Sociology, Economics, Political Science.	90	क्रमांक: 130/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक: 16/07/2023
		B.Sc.-I- (Maths Group)- (F.C.- Hindi, English), Physics, Chemistry, Maths.	60	
		B.Sc.-I- (Computer Science)- (F.C.- Hindi, English), Maths, Computer, Physics.	60	
		B.Com.-I- Computer Science.	60	
9.	शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग जिला-	B.A. I- Hindi Literature, English Literature.	200	क्रमांक: 136/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 16/07/2023

	गरियाबंद (छ.ग.) सत्र 2023-24			
10.	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.S.W. I/II Sem.	20	क्रमांक: 187/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 20/07/2023
11.	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.Com. I/II Sem.	30	क्रमांक: 156/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 18/07/2023
12.	स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय, मोपका-निपनिया जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) सत्र 2023-24	B.Sc. I- Botany, Zoology.	90	क्रमांक: 158/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 18/07/2023
13.	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद जिला- धमतरी (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.Sc. I/II- Information Technology (IT)	20	क्रमांक: 152/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 18/07/2023
14.	सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा जिला- रायपुर (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.Sc. I/II- Maths	20	क्रमांक: 185/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 20/07/2023
15.	स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली जिला- महासमुंद (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.A. I/II Sem.- English (Self finance) M.Sc. I/II Sem.- Zoology (Self Finance)	30 30	क्रमांक: 252/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक: 27/07/2023
16.	शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव जिला- रायपुर (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.A. I/II Sem.- Sociology	40	क्रमांक: 265/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक: 31/07/2023
17.	बाबू पंडरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी जिला- धमतरी	B.Sc.I- Botany, Zoology M.A. I/II Sem.- Geography	90 30	क्रमांक: 111/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक: 14/07/2023

07. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2023-24 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव जिला- रायपुर
2	डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला-महासमुंद
3	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चिरको जिला- महासमुंद
4	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर
5	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुड़ियारी जिला- रायपुर
6	शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय, भाटागाँव जिला- रायपुर

7	शासकीय कला/वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर
8	भक्त माता कर्मा शासकीय महाविद्यालय, समोदा जिला- रायपुर
9	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शास. महा. सरायपाली, जिला-महासमुंद
10	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, गोबरा नवापारा जिला- रायपुर
11	शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
12	गोंविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार
13	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसीवां रायपुर सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापुर, जशपुर (छ.ग.)
2	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
3	महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
4	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
5	जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
6	जय हिंद महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद (छ.ग.)
7	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-581, ग्राम-पचेडा तह.- अभनपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)
8	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
9	बी.आई.टी. कॉलेज ऑफ कामर्स, साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्ट्स, अभनपुर रोड, केन्द्री, नवा रायपुर
10	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस (कॉलेज डिवीजन) रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
11	सेंट्रल कॉलेज आफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
12	सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
13	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्राम- पचेडा जिला- रायपुर
14	स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम- मुड़पार, पो.- खरोरा, तह. - तिल्दा, जिला- रायपुर
15	महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
16	कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लाट नं. 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
17	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)
18	कोपल वाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय, पं. सुंदर लाल शर्मा स्कूल परिसर, सुंदर नगर, रायपुर
19	दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, रायपुर
20	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, कचना रोड, रायपुर (छ.ग.)
21	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एजुकेशन, खसरा नं.-1234, ग्राम+पोस्ट-नरदहा, तह.-आरंग, रायपुर
22	के.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर
23	दिशा कालेज, दिशा पार्क बिल्डिंग नं. 1 फर्स्ट फ्लोर, चिरुडीह, रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर
24	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेडा, अभनपुर, जिला-रायपुर
25	श्रुष्टि कॉलेज आफ आई.टी. एंड मैनेजमेंट, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)(सत्र 2022-23 एवं 2023-24)
26	ओम श्री साईं नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवां), जिला-रायपुर (छ.ग.)
27	महर्षि दयानंद संस्कृत महाविद्यालय, कोसरंगी जिला- महासमुंद

निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

08. आवेदक नितिन के स्नातक उपाधि बी.ए. (ऑनर्स) भूगोल, कला संकाय एवं विज्ञान संकाय से स्नातकोत्तर में एम.एस-सी. भूगोल उत्तीर्ण होने के पश्चात् भूगोल विषय में पी-एच.डी. हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

09. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना –

- (i) M.A.- Political Science
- (ii) M.A.- Public Administration
- (iii) M.A.- Yoga
- (iv) M.Sc.- Renewable Energy Technology
- (v) M.Tech.- Microelectronics & VLSI Design
- (vi) P.G. Diploma in Fashion Design & Garment Technology

निर्णय: विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई—

- (i) M.A.- Political Science
- (ii) M.A.- Public Administration
- (iii) M.A.- Yoga
- (iv) M.Sc.- Renewable Energy Technology
- (v) M.Tech.- Microelectronics & VLSI Design
- (vi) P.G. Diploma in Fashion Design & Garment Technology
- (vii) M.A. Women Studies

साथ ही विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. महाविद्यालय हेतु निर्मित निरीक्षण समिति प्रतिवेदन को संशोधन करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: महाविद्यालय हेतु निर्मित निरीक्षण समिति प्रतिवेदन को संशोधन हेतु समिति के गठन किए जाने की अनुशंसा की गई, समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं –


- (1) डॉ. एस.जे. डहरवाल, संकायाध्यक्ष, टेक्नोलॉजी संकाय
- (2) श्री सनत कुमार वर्मा, उप कुलसचिव, अकादमिक विभाग


02. एम.ए. तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केंद्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: एम.ए. तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केंद्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में समीक्षा हेतु समिति के गठन की अनुशंसा की गई, जो अपना प्रतिवेदन 31.08.2023 तक प्रस्तुत करेंगे। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं –

- (1) डॉ. शैल शर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय
- (2) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
- (3) डॉ. अदिती पोद्दार, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय
- (4) डॉ. एस.जे. डहरवाल, संकायाध्यक्ष, टेक्नोलॉजी संकाय

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 298 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 03 / 08 / 2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)

परीक्षा प्रकरण निवारण समिति
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

-:कार्यवृत्त:-

विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 685/परीक्षा/2023 रायपुर दिनांक 11/05/2023 द्वारा गठित परीक्षा प्रकरण निवारण समिति (Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 का कार्यवृत्त:-

विषय:- विश्वविद्यालय पत्र क्र. 6102/अका./2015 रायपुर दिनांक 29/10/2015 द्वारा गठित Question Paper reform committee द्वारा अनुशंसित एवं सत्र 2016-17 से प्रभावशील एम.ए., एम. काम., एम.एस-सी., एम.सी.ए., एल.एल.एम., एम.पी.एड. एवं एम.लिब. परीक्षाओं के सेमेस्टर सिस्टम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के Question Paper Pattern में परिवर्तन संबंधी गोपनीय विभाग के प्रस्ताव पर विचार करना।

प्रचलित Question Paper Pattern एवं गोपनीय विभाग का तर्क निम्नानुसार है-

प्रश्नपत्र प्रतिरूप	खण्ड	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक	
बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर	A	20	1	20	20x1=20
अति लघुउत्तरीय (2 से 3 लाईन में)	B	8 अथवा 10	2 अथवा 1.5	16/15	10x2=20
लघुउत्तरीय (75 शब्द)	C	8 अथवा 10	3 अथवा 2.5	24/25	10x3=30
दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (150 शब्द)	D	4 अथवा 5	5 अथवा 4	20	5x6=30
कुल अंक				80	100


चूंकि परीक्षा कार्य समयबद्ध कार्य है एवं सेमेस्टर परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित होती है। प्रश्न पत्र का प्रचलित प्रतिरूप विस्तृत प्रवृत्ति (40 से 45 प्रश्न) का होने के कारण प्राश्निकों द्वारा प्रश्नपत्र रचना में अधिक समय लिया जा रहा है। इसलिए समय पर परीक्षा कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। अतः प्रश्नपत्र प्रतिरूप में परिवर्तन प्रस्तावित है।

निर्णय:- समिति, प्रचलित Question Paper Pattern एवं इसमें आ रही कठिनाइयों के संबंध में गोपनीय विभाग के तर्कपूर्ण प्रस्ताव पर पूर्ण विचारोपरांत निम्नानुसार अनुशंसा करती है:-

- प्रश्नपत्र के पूर्णांक पाठ्यक्रम योजना अनुसार होगा।
- प्रश्नपत्र 3 खण्ड (खण्ड अ, खण्ड ब एवं खण्ड स) में विभक्त होगा।
- सभी खण्ड में प्रत्येक इकाई से प्रश्न पूछे जाएंगे।
- खण्ड अ तथा खण्ड ब के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।
- खण्ड स में आन्तरिक विकल्प दिया जाएगा।

प्रश्नपत्र में प्रश्न एवं अंकों का विभाजन पूर्णक 80 एवं 100 के आधार पर निम्नानुसार होगा:-
पूर्णांक 80 अंक हेतु :-

प्रश्नपत्र प्रतिरूप	खण्ड	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक
बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर	A	8 अथवा 10	2.5 अथवा 2	20
लघुउत्तरीय (≤100 शब्द)	B	4 अथवा 5	5 अथवा 4	20
दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (≥350 शब्द)	C	4 अथवा 5	10 अथवा 8	40
कुल अंक				80



13/06/23


पूर्णांक 100 अंक हेतु :-


प्रश्नपत्र प्रतिरूप	खण्ड	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक
बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर	A	8 अथवा 10	2.5 अथवा 2	20
लघुउत्तरीय (≤100 शब्द)	B	4 अथवा 5	7.5 अथवा 6	30
दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (≥350 शब्द)	C	4 अथवा 5	12.5 अथवा 10	50
कुल अंक				100


टीप:- अनुशंसित Question Paper Pattern सत्र 2023-24 से उपर्युक्त सभी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए प्रभावशील होगा।

उक्त निर्णय पारित एवं हस्ताक्षरित तथा अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।


13/6/2023
डॉ. व्यास दुबे
अध्यक्ष


13/6/23
डॉ. ए.के. श्रीवास्तव
सदस्य


13/06/2023
डॉ. राजीव चौधरी
सदस्य


13.06.2023
उपकुलसचिव (परीक्षा)
सदस्य


13/06/23
उपकुलसचिव (अकादमिक)
सदस्य


13/06/23
सहा. कुलसचिव (गोपनीय)
सदस्य

परीक्षा प्रकरण निवारण समिति

Regulation No. -

Distinguished Professor - Honorary Engagement at PRSU

1. PRELUDE

To achieve higher standards in teaching and research, the university needs to invite renowned academic experts to serve Pandit Ravishankar Shukla University (thereafter, PRSU). These professionals can serve as Distinguished Professors and will enhance teaching and research efforts at the Master's and Ph.D. levels. They will also collaborate with current faculty members at the PRSU to encourage quality research and provide mentorship and inspiration to students. A Distinguished Professor can conduct academic research within their specific area of focus in which he/she has expertise. Conferment of Distinguished Professorship will be purely 'honorary'.

2. ELIGIBILITY

- 2.1 A superannuated Professor of the PRSU who have made significant contributions to the knowledge in the concerned/ allied/ relevant/ applied disciplines are eligible to apply for the position of Distinguished Professor.
- 2.2 Served as a full-time Professor at least for a period of a minimum of 10 years.
- 2.3 Should be an accomplished professional/ expert with publications in high-impact factor journals, patents, good citations, and h-index in his/her chosen field of discipline. A minimum of ten publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals, and evidence of having successfully guided doctoral candidate under his/her supervision.

The Research Score should be greater than 110 (will be calculated as per the UGC guidelines) that should come from the publications (research articles/ books/ book chapters), research guidance, and research projects.

- 2.4 The upper age will be considered up to the age of 70 years. In special case, it will be extended by the University on appropriate grounds.

3. PROCEDURE TO APPLY

- 3.1 The proposal to invite the application for the Distinguished Professor may be initiated by the concerned School/Institute/Centre.

OR

The superannuated professors of the PRSU can apply anytime throughout the year in the prescribed format for the scheme.

- 3.2 Applications for Distinguished Professorship should be addressed to the Vice-Chancellor.
- 3.3 The Vice-Chancellor will constitute a Screening Committee consisting of the following members for evaluating the proposals/ applications:
 - i. Vice-Chancellor, PRSU – Chairperson
 - ii. Director, IIT of the Chhattisgarh State
 - iii. Vice-Chancellor, Central University of the Chhattisgarh State

opportunity for dissemination of knowledge in their specialty.

- 7.2 The schedule may be fixed in coordination with the concerned Head of the Department/Institute/Centre.
- 7.3 Every Distinguished Professor shall submit an annual report of his/ her academic performance along with suggestions, if any, to the Director, IQAC, PRSU.
- 7.4 The Distinguished Professor shall also take steps to coordinate with the University, in matters of academic collaboration with other Universities within India and abroad.

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY
APPLICATION FORM FOR DISTINGUISHED PROFESSOR

1.	i)	Name	
	ii)	Date of birth	
	iii)	Qualification	
	iv)	Designation	
	v)	Date of superannuation	
	vi)	Address	
	vii)	Email id	
	viii)	Contact no.	
	ix)	Area of Expertise	
		(a) Department/ Discipline/ Specialization	
2	Curriculum vitae of the applicant		
	i)	Research experience	
	ii)	Teaching experience	
	iii)	Details of publication	
		(a) No. of papers published	
		(b) No. of papers accepted for publication	
		(c) No. of books published and under publication (Please give detailed information on a separate sheet of paper and enclose the copies of your best two publications/ research)	

	iv)	Ph.D. guidance details	
	v)	Details of projects completed and undergoing	
	vi)	Patents/ IPRs/ others (if applicable)	
	vii)	Significant academic/ public life contribution made by the nominee	
	viii)	Awards/ Recognition (National/ International/ Institute/ University/ State Level)	
<p>I hereby declare that the statements made in the application are true and certify that no vigilance/ disciplinary proceedings are pending against me.</p>			
<p>(Signature of the applicant)</p>			

Final Draft Ordinance

Revised Ordinance 197 of Pandit Ravishankar Shukla University , Raipur

Clause No.	Current provision	Clause No.	Provision for Amendment	Justification
1.1	This Ordinance shall be called "Ordinance for Four Years (Eight Semesters) Undergraduate Program (FYUP)".	1.1	This Ordinance shall be called "Ordinance for Multidisciplinary Four Year (Eight Semesters) Undergraduate Program (FYUP)" with multiple entry and exit and shall be applicable from Session 2023-24 (i.e. w.e.f.01 July 2023)	To make objective of ordinance more clear
	Not exist	2.11	"Summer term" Refers to duration of eight weeks during summer vacation for Internship/apprenticeship/work-based vocational education and training which can be carried out especially by students who wish to exit after two semesters or four semesters of study.	As per UGC credit and curriculum framework released through forwarding letter dated 7 th December, 2022.
3.1	The duration of Four Year Undergraduate Program (FYUP) shall be of eight semesters (Four academic years). The maximum duration for completing the program shall be double the duration to complete a particular level of NHEQF as per Appendix I . If a student is unable to clear all the semesters of the program within the maximum duration, he/she will automatically exit from the program. Duration of different levels of program of study as per NHEQF level shall be as per Appendix-I .	3.1	The duration of the UG programme is 4 years or 8 semesters. Students who desire to undergo a 3-year UG Programme will be allowed to exit after completion of the 3 rd year. If a student wants to leave after the completion of the first or second year, the student will be given a UG Certificate or UG Diploma, respectively, provided they secure the prescribed number of credits as per Table of Appendix I . Students who exit with a UG certificate or UG diploma are permitted to re-enter within three years and complete the degree programme. Students may be permitted to take a break from the study during the period of study but the total duration for completing the programme shall not exceed 7 years.	As per UGC credit and curriculum framework released through forwarding letter dated 7 th December, 2022.
3.2	.The credit requirements of various levels of program of study along with stage of exit shall be as per Appendix-I .	3.2	Students who opt to exit after completion of the first year and have secured credits as per Table of Appendix I will be awarded a UG certificate if, in addition, they complete one vocational course of 4 credits during the summer vacation of the first year. These students are allowed to re-enter the degree	As per UGC credit and curriculum framework released through forwarding letter dated

			<p>programme within three years and complete the degree programme within the stipulated maximum period of seven years.</p> <p>Similarly Students who opt to exit after completion of the second year and have credits as per Table of Appendix I will be awarded the UG diploma if, in addition, they complete one vocational course of 4 credits during the summer vacation of the second year. These students are allowed to re-enter the degree programme within three years and complete the degree programme within the stipulated maximum period of seven years.</p>	7 th December, 2022.
6.5 (ii)	Promoted (ATKT) , i.e., those who have not passed in all the courses of the semester examination but have passed $n-2$ courses. Where n is total number of courses in a semester.	6.5 (ii)	Promoted(ATKT) i.e., Having any number of back papers in case of moving from odd to even semester subject to fulfillment of criterion mentioned in clause 8. Further student who have cleared minimum 50% of total courses in a particular year including both the semesters (Even and Odd) while moving from one year to another year subject to fulfillment of criterion mentioned in clause 8.	for wider interest of students
6.5 (iii)	i. Detained , i.e., those who are not promoted as per the above provisions will be detained. Such students have to rejoin the course of study in regular mode by paying fee in the same semester in the next academic session subject to not crossing maximum duration of the program as defined in this ordinance.	6.5 (iii)	Detained , i.e., those who have not promoted as per the above provisions will be detained. Such students have to appear in the examination of next academic session to clear required number of back courses as per the provisions of this ordinance then after he/she may continue the program within stipulated period as per the provisions of this ordinance.	To remove ambiguity
6.6	However, a student of the first semester who has been detained/ not appeared in examination due to less attendance/ not applied for examination/ applied but not appeared shall be out from the program. Such a student has to take admission in the next session as an ex-student through the procedure adopted/notified by the University.	6.6	However, a student of any semester who has not appeared in examination due to less attendance must attend the class of the same semester in the next academic session to be eligible to appear in examination of that particular semester. Further, student of any semester, not applied for examination/ applied but not appeared in examination/ not appeared in examination due to any	To remove ambiguity

			<p>other reasons may appear in the examination of same semester in next academic session only.</p> <p>Further a student is eligible for promotion in next higher semester subject to he/she fulfills conditions of clause 8 and only when he/she has appeared in end semester examination (either partially or fully)of current semester.</p>	
8.1	A student may take admission in the 2 nd semester provisionally immediately after the 1 st semester examinations and his/her admission in the 2 nd semester shall be confirmed and she/he will be promoted to the 2 nd semester provided he/she is carrying not more than two back papers in the 1 st semester	8.1	A student may take admission in the 2 nd semester immediately after the 1 st semester examination with any number of back papers	for wider interest of students
8.2	1.1. A student may take admission in the 3 rd semester provisionally, immediately after the 2 nd semester examination and his/her admission shall be confirmed and she/he will be promoted to the 3 rd semester provided he/she is carrying not more than two back papers in the 1 st semester and not more than two back papers in 2 nd semester.	8.2	A student may take admission in the 3 rd semester provisionally, immediately after the 2 nd semester examination and his/her admission shall be confirmed and she/he will be promoted to the 3 rd semester provided he/she is carrying not more than 50% back papers including both 1 st and 2 nd semesters.	For wider interest of students
8.3	1.1. A student may take admission in the 4 th semester provisionally, immediately after the 3 rd semester examination and his/her admission shall be confirmed and she/he will be promoted to the 4 th semester provided he/she is carrying not more than two back papers in the 2 nd semester and not more than two back papers in the 3 rd semester. Provided further that the student has cleared all the papers of the 1 st semester.	8.3	A student may take admission in the 4 th semester immediately after the 3 rd semester with any number of back papers in 3 rd semester.	for wider interest of students.

8.4	1.1. A student may take admission in the 5 th semester provisionally, immediately after the 4 th semester examination and his/her admission shall be confirmed and she/he will be promoted to the 5 th semester provided he/she is carrying not more than two back papers in the 3 rd semester and not more than two back papers in the 4 th semester. Provided further that the student has cleared all the papers of 2 nd semester and 1 st semester.	8.4	A student may take admission in the 5 th semester provisionally, immediately after the 4 th semester examination and his/her admission shall be confirmed and he/she will be promoted to the 5 th semester provided he/she is carrying not more than 50% back papers including both 3 rd and 4 th semesters. Provided further that student has cleared all the papers of first and second semesters.	for wider interest of students
8.5	1.1. A student may take admission in the 6 th semester provisionally, immediately after the 5 th semester examination and his/her admission shall be confirmed and she/he will be promoted to the 6 th semester provided he/she is carrying not more than two back papers in the 4 th semester and not more than two back papers in the 5 th semester. Provided further that the student has cleared all the papers of 3 rd , 2 nd and 1 st semesters.	8.5	A student may take admission in the 6 th semester immediately after the 5 th semester with any number of back papers.	for wider interest of students.
8.7	Further a special ATKT examination of the 5 th semester shall be conducted along with the 6 th semester for the students having not more than two back papers in the 5 th semester as well in the 4 th semester.	8.7	Further a special ATKT examination of the 5 th semester shall be conducted along with the 6 th semester for the students who have cleared all the papers till 3 rd semester.	For providing more flexible way of promotion in higher semester for wider interest of examinee
8.8	A special ATKT examination of the 6 th semester shall be conducted soon after the declaration of semester	8.8	A special ATKT examination of the 6 th semester shall be conducted soon after the declaration of semester	For providing more flexible way of

	results. Only those students who are having not more than two back papers only in the 6 th semester shall be eligible to appear in this special ATKT examination.		results. Only those students who are having back papers only in the 6 th semester shall be eligible to appear in this special ATKT examination	promotion in higher semester for wider interest of examinee.
8.9	A student may take admission in the 7 th semester (Fourth year of UG) only after clearing all the semesters up to the 6 th semester with CGPA 7.5 or higher or equivalent percentage.	8.9	A student may take admission in the 7 th semester (Fourth year of UG) only after clearing all the semesters up to the 6 th semester.	For providing more flexible way of promotion in higher semester for wider interest of examinee.
8.10	A student may take admission in 8 th semester (Fourth year of UG) provisionally, immediately after the 7 th semester examination and his/her admission shall be confirmed and she/he will be promoted to the 8 th semester provided he/she is carrying not more than two back papers in the 7 th semester.	8.10	A student may take admission in 8 th semester (Fourth year of UG) provisionally, immediately after the 7 th semester examination with any number of back papers in the 7 th semester.	For providing more flexible way of promotion in higher semester for wider interest of examinee.
8.11	Further, a special ATKT examination of the 7 th semester shall be conducted along with the 8 th semester for the students having not more than two back papers in the 7 th semester.	8.11	Further, a special ATKT examination of the 7 th semester shall be conducted along with the 8 th semester.	For providing more flexible way of promotion in higher semester for wider interest of examinee
8.12	A special ATKT examination of the 8 th semester shall be conducted soon after declaration of the semester results. Only those students who are having not more than two back papers in the 7 th semester shall be eligible to appear in this special ATKT examination.	8.12	A special ATKT examination of the 8 th semester shall be conducted soon after declaration of the semester results. Any student having back papers in 8 th semester shall be eligible to appear in this special ATKT examination. Further student must clear all the papers of 7 th semester.	For providing more flexible way of promotion in higher semester for wider interest of examinee.
8.13	A student must choose honours course for the fourth year before the commencement of the fourth year, for which the department concerned shall ask the students to choose honours subject and the same shall	8.13	Student must choose honours course for the fourth year before the commencement of the fourth year, for which the department concerned shall ask the students to choose honours subject and the same shall be	As per UGC credit and curriculum framework released through forwarding letter dated 7 th

	be confirmed as per the availability of the seats and other criteria.		confirmed as per the availability of the seats and other criteria. Further students who secure 75% marks or above or equivalent grade points in the first six semesters and wish to undertake research at the undergraduate level can choose a research stream in the fourth year. They should do a research project or dissertation under the guidance of a faculty member of the HEI. The research project/dissertation will be in the major discipline. The research outcomes of their project work may be published in peer-reviewed journals or may be presented in conferences /seminars or may be patented.	December, 2022
8.14	In case a student fails to clear the backlog, he/she will be held up till the backlog papers are cleared for which he/she can take attempt in the next appropriate examination as an ex-student subject to the completion of degree up to maximum duration allowed for the program. Internal marks of such ex-students will be carried forward for the corresponding course in which he/she is appearing as an ex-student.	8.14	In case a student is detained or not prompted to higher semester he/she will be held up till the backlog papers are cleared for which he/she can take attempt in the next appropriate examination as an ex-student subject to the completion of degree up to maximum duration allowed for the program. Internal marks of such ex-students will be carried forward for the corresponding paper in which he/she is appearing as an ex-student.	To remove ambiguity
8.15	For counting back papers both theory as well as practical courses shall be considered.	8.15	For counting 50% back papers both theory as well as practical courses shall be considered and 0.5 shall be treated as one course.	To make the provision more clear.
	Not exist	8.16	The number of seats to be increased in order to follow promotion rule or multiple entry and exit as per this ordinance shall be treated as supernumerary seats and shall be increased as per requirements.	
12.5	Any points related to UGCF not covered under this ordinance shall be as prescribed by the University through its ordinance/regulation/guidelines from time to time.	12.5	Any points related to UGCF not covered under this ordinance shall be as prescribed by the UGC guidelines released through its forwarding letter dated 7 th December, 2022 or any amendments from time to time.	Due to existence of UGC curriculum and credit Framework

	Not Exist	14	<p>Following will be applicable only for the students admitted in academic session 2022-2023 and detained as on the date of notification of this ordinance.</p> <p>The detained students of first or second semester of academic session 2022-23 shall be eligible to appear in the respective semester examination to clear his/her back courses as an EX student and they may continue the program as per the provisions of this ordinance.</p> <p>Transcript of the students shall be prepared as per sample transcript shown in Appendix-III</p>	
	Not exist	Appe- dix-III	Attached (Sample Transcript)	To maintain uniformity as per template provided in digilocker.

univ.
Memo**Name of the HEI**
(Accredited Grade by NAAC)Coll.
MemoAn Autonomous College affiliated to
Name of the affiliating university**[NAME OF THE PROGRAM/ NAME OF THE SEMESTER/ EXAMINATION, MONTH-YEAR]****SESSION-.****Marksheet Cum Grade Sheet**

Status	Regular/EX	Sr. No.	1
Name of the Student	ABCD	Roll No.	000000XY
Father's Name	FATHER OF ABCD	Enrollment No.	ABC/XYZ/0001
Mother's Name	MOTHER OF ABCD	ABC ID	456878651234
Medium	Hindi/English	Aadhar No.	123456789632

Image of
Students

Course code	Course Title	Discipline	SCHEME OF MARKS				MARKS OBTAINED			CREDITS			
			SEE Max.	IA Max.	Total	Min.	SEE	IA	TOTAL	GR.	GP	CR	C
BSCC-1T	DSC-A1	DSC-A	80	20	100	40	60	15	75	A	8	3	2
BSCC-1P	Lab course DSC-A1	DSC-A			50	20	35		36	A	8	1	
ZSCC-1T	DSC-B1	DSC-B	80	20	100	40	55	16	71	A	8	3	2
ZSCC-1P	Lab course of DSC-B1	DSC-B			50	20	40		40	A	8	1	
CHSCC-1T	DSC-C1	DSC-C	80	20	100	40	65	18	83	A+	9	3	2
CHSCC-1P	Lab course DSC-C1	DSC-C			50	20	40		40	A	8	1	
MBGEC-1T	GEC1		80	20	100	40	50	15	65	B+	7	3	2
MBGEC-1P	Lab course of GEC-1				50	20	39		39	A	8	1	
EVS/AEC1	AEC 1		40	10	50	20	31	8	39	A	8	2	1
MBSEC	SEC 1		40	10	50	20	35	5	40	A	8	2	1
ENGVAC	VAC 1		40	10	50	20	32	7	39	A	8	2	1

Total Marks in Semester										Out of 750		567		SGPA-		8.00	
Semester	Total	Obtained	Credit	SGPA	Semester	Total	Obtained	Credit	SGPA	Grand Total				CGPA-	-----		
1st Sem	750	567	22	8	4th Sem					Total	Out of	RESULT	PASS				
2nd Sem					5th Sem												
3rd Sem					6th Sem					567	750	PASS					
7th Sem					8th Sem												
In words : FIVE SIX SEVEN										Out of		750					

Division:

Checker

Date

CONTROLLER OF EXAM.
NAME OF HEIREGISTRAR/COE
NAME OF AFFILIATING UNIVERSITYPRINCIPAL
NAME OF HEI